फर्द अहकाम

ओमकार वगै० बनामे बंशीधर वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

केस संख्या 60/2018

प्रार्थना पत्र

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12-9-19	बकुलाल उप० बहस प्रा०पत्र 19 R 7 CPC सुनी गयी। प्रा०पत्र बाद बहस मनन स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा०पत्र दिनांक 24-10-19 को पेश हो। तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	24.10.19	बकुलाल उप०। जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। शामिल किस रहे। वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 27.11.19 को पेश हो। तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	27/11/19	बकुलाल उप०। बहस प्रा०पत्र सुनी गयी वास्ते आदेश दिनांक 10/12/19 को पेश हो। तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	10/12/19	बकुलाल उप० बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद बहस मनन होकर प्रकरण में दिनांक 13/8/20 को न्यायालय द्वारा अंतिम	

फर्द अहकाम

ओमकार वगै० बनाम बंशीधर वगै०

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

प्रार्थनापत्र

60/2018

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। अतः दोनों पक्षों को तब फैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तथा इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 13/8/18 स्वीकार कर प्रार्थनापत्र confirm किया जाता है। फायदी फैसल भुगत होकर बाद तकमील नस्ख से कम से संलग्न मूलवाद हो। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2020.02.13 12:16:23 IST
Reason: SelfAttested